(117)

श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर पीठ रीवा प्रकरण जिला रीवा म0 प्र0

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

806 / 20-11-14

R - 4119 - III/14

1-प्रेमलाल तनय श्री रामकृपाल सिंह
2-रामकिशोर सिंह तनय श्री रामसिया सिंह
दोनो निवासी करहियाँ तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

-----आवेदक गण

बनाम

1-बैद्यनाथ शुक्ला तनय श्री चिन्तामणि शुक्ला निबासी खुटेही ढेकहा
2-शासन म0 प्र0 द्वारा राजस्व निरीक्षक सर्किल गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

-----अनावेदक गण

श्री हीरालाल पटेल एड द्वारा आज दिनांक 20.11.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी बिरूद्ध आदेश श्री राजस्व निरीक्षक मण्डल सर्किल गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा के रा0 प्र0क0 326अ12/13-14 आदेश दिनांक 21/8/14 मुताबिक धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959ई0

मान्यवर,

क्रमांक 3839 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्राप्त

निगरानी के आधार निम्नलिखित है।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म प्र ग्वालियर 5.12.14

1- यह कि अधी0 न्याया0 का आदेश बिधि एवं प्रकिया के बिरूद्ध है।

2- यहकि अनावेदक क0 1 द्वारा सीमांकन का आवेदन पात्र सीमांकन के लिये बने नियमो के अनुसार न होते हुए भी सीमांकन की कार्यवायी करने में तथा उसे पुष्ट करने में अधी0 न्याया0 अधिकारी ने भूल की है।

3- यहकि अनावेदक क0 2 ने भी सरहददी भूमि खसरा नं0 517 जिसमें उसका मकान स्थिति है, के सीमांकन का आवेदन पत्र अधी0 न्याया0 के समक्ष उसी दिनांक को दिया था, जिस दिनांक को अनावेदक क0 1 द्वारा भूमि नं0 515 एवं 516 के सीमांकन का आवेदन पत्र दिया गया था, किन्तु आवेदक क02 द्वारा दिये गये सीमांकन के आवेदन पत्र के आधार पर उसकी भूमि तथा अनावेदक क0 1द्वारा दिये गये सीमांकन करते वक्त आवेदक गण की भूमियो की बिना नाप जोख किये आवेदक गण की भूमि का रकवा 515 में नापकर भूमि नं0 515, 516 में आवेदक गण का कब्जा होने का उल्लेख करने में अधी0 न्याया0 ने भूल की है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 4119–दो/14 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–09–17	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक सर्किल गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 326/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 21–8–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। सीमांकन पंचनामे से आवेदक का सीमांकन कार्यवाही प्रभावित होना प्रथमदृष्टया परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	